UPCD010008442026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.)एक्ट चन्दौली

उपस्थितः श्री रामबाबू यादव, (एच.जे.एस.) **J.O. Code UP 6374**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 405/2026

मो. अरशद पुत्र गुलाम नबी, निवासी सी–13/262ए–4 लहंगपुर, औरंगाबाद, थाना सिगरा, जनपद वाराणसी – – – प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य – – – विपक्षी

अ.सं.– 54/2024

धारा–3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि.

थाना – चन्दौली, जनपद–चन्दौली।

दिनांकः 16–03–2026

प्रार्थी/अभियुक्त **मो. अरशद** की ओर से थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 54/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधनियम के केस में जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक, दाण्डिक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

3. **संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि** दिनांक 15–03–2024 को थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली में वादी उपनिरीक्षक रावेन्द्र सिंह द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 14–03–2024 को उपनिरीक्षक राघवेन्द्र सिंह मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र/चेकिंग में थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि 3 अदद पिकप है जो वाराणसी की तरफ से आ रही है और सैयदराजा होते हुए बिहार के रास्ते पण्डुआ जायेगी। इन वाहनों में गोवंश लदे हैं यदि, जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके अन्य हमराहियों के साथ इकटठा होकर आने वाली पिकप का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि साहब मैं पिकप के पीछे लगा हुआ हूँ, वाहन थाना गेट क्रॉस कर रही है कि तत्परता से मौके पर उपस्थित बल के मदद से वर्तमान समय में बड़े साहब ढाबा के सामने सर्विस लेन डायवर्जन पर बड़े वाहनों को रोक कर जाम की स्थित बनायी गयी जिससे कुछ ही देर में 03 पिकप जाम में फंस कर रूक गयी कि मौजूद पुलिस बल के मदद से सभी पिकप वाहन के चालकों को कवर किया गया तीनों पिकप वाहनों को किनारे सर्विस लेन पर लगवाकर रास्ते का जाम खुलवा कर यातायात व्यवस्था सामान्य कर कब्जे में आयी वाहनें की तलाशी व चालक का नाम पता पूछताछ किया गया तो पहली वाहन पिकप को देखा गया तो पंजीयन सं0 यू.पी.67.ए.टी.1488 पाया गया व चालक को नींचे उतारकर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजा पटेल पुत्र रामराज नि. घमहापुर पण्डितपुर थाना रोहनिया बताया गया जामा तालाशी ली गयी तो इसके पास से 1200/–रूपये बरामद हुये व पिकप के ढाले में कुल 11 राशि गोवंशीय पशु बांधे गये हैं जो बुरी तरह हाफ रहे व मुंह से झाग निकल रहा है। दूसरी पिकप वाहन पर नम्बर प्लेट नहीं लगा है। चेचिस नंबर MA1RE2TTKP6L40178 प्राप्त हुआ जिसके चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतारकर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुनील गुप्ता पुत्र सुधाकर गुप्ता नि. करदहा जलालपुर थाना जलालपुर बताया, इसके जमा तलाशी से इसके पास से 1700/–रूपये तथा उक्त पिकप को ढाले को खोलकर देखा गया तो उसमें कुल 11 राशि गोवंशीय पशु क्रूरता पूर्वक बांधे गये है जो बुरी तरह हांफ रहे थे व मुंह से झाग निकल रहा था तथा आपस में रगड़ घिस होने व ढ़ाले के लोहे के शरीर जगह जगह कट फट गया था व एक राशि गाय का अगल पैर जख्मी हो गया था। तीसरे पिकप जिस पर आगे पीछे नम्बर प्लेट नहीं लगी है जिसका चेचिस नंबर MA1ZU2TNKN1M18266 पाया गया व चालक को नीचे उतारकर नाम पता पूछा गया तो अपना अविनाश उर्फ ओमजी यादव पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र यादव नि0 गड़रियनपुरवा गांव थाना तेलियरगंज जनपद प्रयागराज बताया, जामा तलाशी लेने पर उसके जेब से कुल–2300/–रूपये बरामद हुये तथा ढाले में कुद 12 राशि गोवंशीय पशु बंधे हुये मिले। पकड़े गये तीनों अभियुक्तगणों से अलग अलग व सामूहिक रूप से पूछताछ की

गयी तो बता रहे है कि यह गोवंश हमलोग सिरकोनी जलालपुर में बाबू साहब के ईंट भट्टे से गुलाब जो सिरकोनी का रहने वाला है व एजाज जो चांद, बिहार का रहने वाला व्यक्ति है के कहने पर हमलोग वाराणसी डाफी अलीनगर चन्दौली सैयदराजा के रास्ते होते हुए बिहार प्रान्त के रास्ते पश्चिम बंगाल पण्डुआ वध हेतु ले जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गये समस्त अभियुक्तगण से उक्त गोवंशों के परिवहन के संबंध में कागजात तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे। अभियुक्तगण का यह कार्य उपरोक्त अपराध का बताते हुए हिरासत में लिया गया। दौरान बरामदगी व गिरफ्तारी आने जाने वाले जनता से गवाही देने को कहा गया तो भलाई बुराई का हवाला देते हुए हट बढ़ गये। मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय केआदेशों–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। मौके पर फर्द तैयार कर तीन व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

4. **प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि** उसकी ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न कहीं लम्बित है और न ही निस्तारित किया गया है। वह किसी आपराधिक मुकदमें का सजायाबी नहीं है। उसे उक्त अपराध में पुलिस द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया है। वह निर्दोष है। उसके द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके उपर झूँठे आरोप लगाये गये है। अभियोजन कथानक बिल्कुल गलत एवं कपोल कल्पित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई हैं प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। उसे मौके से भागना भी नहीं कहा गया है और न ही मौके से गिरफ्तार ही हुआ है। मौके पर गिरफ्तार किये गये तीन व्यक्तियों के द्वारा भी प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया है। उसका तथाकथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। वह बिना किसी अपराध के जेल में निरूद्ध है। बाद जमानत उसके पलायित होने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. **विद्वान लोक अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि** प्रार्थी/अभियुक्त वाहन संख्या यू.पी.65.एन.टी.5626 का पंजीकृत स्वामी है जिसे पुलिस द्वारा मौके पर बिना किसी नम्बर प्लेट के पकड़ा गया था तथा जिसकी जांच किये जाने पर वाहन का चेचिस नं. MA1RE2TTKP6L4 0178 होना पाया गया तथा वाहन से कुल 11 राशि गोवंशीय पशु बरामद किया गया था जो उक्त वाहन पर क्रूरता पूर्वक लादे गये थे व उनके शरीर पर चोट के निशान थे। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाय।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर कुल तीना वाहनों को वध हेतु गोवंश लादकर बिहार के रास्ते पण्डुआ ले जाते समय पकड़ जाना तथा उक्त वाहनो में से कुल 34 राशि गोवंश बरामद किया जाना कहा गया है जिसमें से प्रार्थी/अभियुक्त के वाहन संख्या यू.पी.65.एन.टी.5626 जिसे मौके पर बिना नम्बर प्लेट के बरामद किया गया था तथा जिसका चेचिस नम्बर MA1RE2TTKP6L40178 होना पाया गया था, से कुल 11 राशि गोवंशीय पशु बरामद किया जाना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त बरामदशुदा वाहन संख्या यू.पी.65.एन.टी.5626, चेचिस नम्बर MA1RE2TTKP6L40178 का पंजीकृत वाहन स्वामी होना कहा गया है जो प्रकरण से सम्बन्धित तलबशुदा पत्रावली में उपलब्ध उक्त वाहन के पंजीकरण प्रपत्र कागज संख्या 7अ/4 से भी दर्शित हो रहा है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के वाहन में बरामदशुदा गोवंशो को क्रूरतापूर्वक लादकर उनके जीवन को संकटापन्न करने वाली परिस्थितियों में वध के आशय से बिहार के रास्ते पण्डुआ पश्चिम बंगाल ले जाने हेतु परिवहन करने का कथन किया गया है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के साथ ही साथ उ0प्र0 अधिनियम की धारा 3 द्वारा अंर्तस्थापित एवं दिनांक 11–06–2020 प्रभावी धारा 5–ख के अंतर्गत भी अभियोग है, जिसमें कि किसी गाय व गोवंश को उनके जीवन संकटापन्न करते हुए उनका परिवहन करना भी शामिल है। साथ ही साथ उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अद्यतन व्यवस्था **<u>मो. यासिर बनाम स्टेट आफ यू.पी. याचिका अंतर्गत धारा 482 संख्या 10041/2022</u>** में पारित आदेश दिनांकित 29–09–2022 को भी दृष्टिगत रखना होगा।

7. प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश गोवंश निवारण अधिनियम संशोधित अधिनियम 2020 जो कि, दिनांक 11.06.2020 से प्रभावी है कि धारा 7ए(1)(बी) को दृष्टिगत रखना होगा, जिसमे कि वर्णित है कि–

''7क–(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी दाण्डिक अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, अभिरक्षा में रहने के दौरान जमानत पर या उसके स्वयं के बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा ,जब तक कि.....

(ख) जहॉ विशेष लोक अभियोजक, आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय का यह विश्वास न हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्ति–युक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत के दौरान कोई अपराध करना असंभव है।''

8. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम संशोधित अधिनियम 2020 जो कि दिनांक 11–06–2020 से प्रभावी है, की धारा 7ए (2) में यह अभिकथित है कि उपधारा 1 के अधीन जमानत प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्बन्धन दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निर्बन्धनों के अतिरिक्त होंगे। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय के समक्ष युक्ति–युक्त विश्वास करने का यह आधार नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा प्रश्नगत अपराध कारित नहीं किया गया है और यदि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो वह भविष्य में ऐसा अपराध कारित नहीं करेगा।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **मो. अरशद** का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दिनांकः– 16–03–2026

(रामबाबू यादव)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट)
चन्दौली।
J.O. code-UP6374

स्टेनो–विकांत कुमार

Digitally signed by RAMBABOO YADAV
Date: 2026.03.16 17:03:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court